न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर

(पीठासीन अधिकारी सांवर मल वर्मा आई0ए0एस0)

अपील संख्या :– 139/08 (धारा 76 भू राज0भू.अधि0 1956) (RCMS No.2008/00017)

लक्ष्मीबाई उर्फ लक्ष्मा पुत्री कालूराम पत्नी श्री रामनिवास जाति मीना निवासी लालपुर का नगला तहसील महवा जिला दौसा।

.............अपीलान्ट

बनाम

1. कम्पूरी वेवा टुण्डाराम
2. पप्पूसिंह पुत्र टुण्डाराम
3. श्रीलाल
4. गंगाराम
5. जगराम

(3–5) पुत्र टुण्डाराम

(1–5) जाति मीना निवासी नगला सीर तहसील वैर जिला भरतपुर।

.....................असल रैस्पोडेन्ट

6. हरिया पुत्र रामफूल जाति मीना नि0 नगला सीर तह0 व जिला भरतपुर।
7. हरी पुत्र रामफूल जाति मीना नि0 नगला सीर तह0 व जिला भरतपुर।
8. सरपंच ग्राम पचांयत रंधीरगढ पंचायत समिति वैर जिला भरतपुर।

.....................तरतीबी रैस्पोडेन्ट

अपील अंतर्गत धारा 76 एल आर एक्ट विरूद्ध आदेश उपजिला कलक्टर वैर दिनांक 18.7.2008 व सिलसिले नामान्तरकरण संख्या 613 दिनांक 5.2.2003 ग्राम पंचायत सैंधली तहसील वैर जिला भरतपुर।

उपरिथतिः–

1. श्री दिनेश शर्मा वकील अपीलान्ट
2. श्री मोहनसिंह राना वकील रैस्पोडेन्ट

निर्णय

दिनांकः– 17.10.2023

उक्त अपील अन्तर्गत धारा 76 भू राजस्व अधिनियम 1956 उप जिला कलक्टर वैर के निर्णय दिनांक 18.7.2008 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि खातेदार मृतक रामफूल के फौत होने पर विरासतन दाखिल खारिज संख्या 613 दिनांक 5.2.2003 ग्राम पंचायत रनधीरगढ पंचायत समिति वैर के द्वारा टुण्डाराम, हरिया, हरीसिंह पिसरान स्व0 रामफूल व लक्ष्मीबाई पुत्री कालूराम के हक में वहिस्सा बराबर 1/2 हिस्सा कौम मीना साकिन नगरला सीर भुसावर खातेदार वाकी 1/2 हिस्सा बदस्तूर स्वीकार किया गया। इस नामान्तरकरण संख्या 613 से व्यथित होकर एक अपील अंतर्गत धारा 75 एल आर एक्ट उपखण्डाधिकारी वैर के समक्ष रैस्पो0 टुण्डा वगैरह के द्वारा पेश की गई जिसमें वाद कार्यवाही उपखण्डाधिकारी वैर के द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 18.07.2008 पारित करते हुये यह माना कि विरासतन दाखिल खारिज विस्तृत जांच उपरान्त ही स्वीकार किया जाना चाहिए था, विचाराधीन नामान्तरकरण संख्या 613 के परिपेक्ष्य में विधिक उत्तराधिकारियों की जांच किया जाना नहीं पाया जाना

मानकर उपखण्ड अधिकारी वैर द्वारा ग्राम पंचायत की ओर से पारित आदेश दिनांक 05.02.2003 वसिलसिले नामान्तरकरण संख्या 613 को निरस्त करते हुये तहसीलदार वैर को इस निर्देश के साथ प्रकरण रिमाण्ड किया गया कि तहसीलदार वैर हितवद्ध उत्तराधिकारियों की विधिवत जांच कर उनकी सुनवाई कर दाखिल खारिज संख्या 613 दिनांक 05.02.2003 पर पुनः निर्णय पारित करें। उपखण्डाधिकारी वैर के इस आदेश दिनांक 18.07.2008 के खिलाफ अपीलान्टा के द्वारा यह अपील अदालत हाजा में पेश की गई है। अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया। तहत पत्रावली तलब की गई। नियत दिनांक को वकील उभयपक्ष उपस्थित। वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने मीमो आफ अपील में वर्णित तथ्यों का हवाला देते हुए बहस में तर्क दिया कि उपखण्ड अधिकारी वैर की ओर से पारित आदेश दिनांक 18.07.2008 विधिविरूद्ध व तथ्यों के विपरित होने के कारण निरस्तनीय है। रैस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 5 ने ग्राम पंचायत की ओर से स्वीकृत किए गए नामांतकरण के विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी वैर के यहां अपील मियाद बाहर पेश की थी। उक्त अपील में तहत अदालत ने मियाद संवंधी विन्दु को निर्णय नहीं कर बिना किसी आधार के स्वीकार कर पुनः तहसीलदार वैर को रिमाण्ड किया है। अपीलान्ट की ओर से अदालत हाजा में पेश की गई अपील में सजरा अंकित किया है, जिसमें श्योवक्स के दो पुत्र रामफूल व खूबीराम थे तथा रामफूल के टुण्डाराम, हरिया, हरीसिंह व कालूराम चार पुत्र थे। अपीलान्ट मृतक कालूराम की पुत्री है तथा हीरा कालूराम की पत्नी व अपीलान्ट की माता थी, जो अपीलान्ट के चाचा हरिया की खानन्दाज हो गई थी। मगर रैस्पोडेन्ट ने अपीलान्ट को मृतक कालूराम की पुत्री नहीं मानने में कानूनी गलती की है। नगर पालिका भुसावर की ओर से भी मृतका कालूराम का जो सजरा व वारिस प्रमाण पत्र जारी किया गया है। उसके आधार पर ग्राम पंचायत द्वारा अपीलान्ट के नाम नामान्तकरण भरा गया था। जिसमें अपीलान्ट को कालूराम की पुत्री बताया गया है। मगर उपखण्ड अधिकारी वैर ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 18.07.2008 में अपीलान्ट को मृतक कालूराम की पुत्री नहीं मानकर कानूनी भूल की है। अपीलाधीन आदेश दिनांक 18.07.2008 में यह अंकित किया गया है कि दाखिल खारिज संख्या 613 ग्राम गढ़ी साद द्वारा विस्तृत जांच किये वगैर स्वीकृत किया गया है। जबकि उक्त नामान्तकरण पटवारी हल्का द्वारा नगर पालिका भुसावर की ओर से जारी सजरे के आधार पर भरे जाने के बाद ग्राम पंचायत की ओर से नियमानुसार स्वीकृत किया गया है। उपखण्ड अधिकारी वैर की ओर से अपीलाधीन निर्णय तथाकथित वसीयत के आधार पर जांच करने हेतु तहसीलदार वैर को प्रेषित किया गया है। जबकि मृतक रामफूल द्वारा इस तरह की कोई वसीयत रैस्पोडेन्ट के पक्ष में नहीं की गई थी। अपीलान्ट की ओर से उपखण्ड अधिकारी वैर में प्रकरण संख्या 161/03 उत्तरानी लक्ष्मी वाई बनाम कम्पूरी अन्तर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, प्रकरण संख्या 160/03 टुण्डाराम बनाम लक्ष्मी अन्तर्गत धारा 88, 89 व

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, प्रकरण संख्या 190/04 हीरा बनाम कम्पूरी अन्तर्गत 88, 89 व 188 राजस्थान काश्ताकारी अधिनियम व प्रकरण संख्या 383/04 हरिया बनाम कम्पूरी अन्तर्गत 88, 89, 188 व 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत 4 दावे अलग-अलग प्रस्तुत किये गये थे, जिनमें विवादित भूमि समान होने के कारण उपखण्ड अधिकारी वैर की ओर से उक्त चारों प्रकरणों में एक साथ निर्णय दिनांक 02.05.2011 को किया गया है। जिसमें अपीलान्ट का दावा डिक्री कर विवादित आराजी के 1/4 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया गया है। इस दावे में भी अपीलान्ट को मृतक कालूराम की पुत्री माना गया है। इसके बाबजूद अदालत मातहत ने अपीलाधीन निर्णय में अपीलान्ट को मृतक कालूराम की पुत्री नहीं मानने में कानूनी भूल की है। उपखण्ड अधिकारी द्वारा अपीलाधीन निर्णय में मियाद के विन्दु के संबंध में कोई अभिमत नहीं दिया। अतः इस आधार पर भी अपीलाधीन निर्णय निरस्तनीय है। अदालत मातहत द्वारा उक्त प्रकरण में दिनांक [illegible].07.2008 को उभयपक्षकारान की बहस सुनकर निर्णय हेतु दिनांक 18.07.2008 नियत की गई थी, परन्तु उक्त पेशी को निर्णय नहीं सुनाया गया। दिनांक 26.09.2008 को अपीलान्ट के द्वारा अदालत हाजा में जाकर जानकारी किये जाने पर अपीलाधीन निर्णय के बारे में जानकारी प्राप्त हुई। अदालत मातहत ने बैकडेट में निर्णय पारित किया है। अपीलान्ट को निर्णय की जानकारी प्राप्त होते ही नकल हेतु आवेदन किया गया व नकल प्राप्त होने के अन्दर मियाद अदालत हाजा में अपील पेश की गई है। अपील पेश करने में हुए विलम्ब को कंडोन किए जाने हेतु अपीलान्ट की ओर से दफा 5 लिमिटेशन एक्ट का प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र पेश किया गया है।

अपीलान्ट के अभिभाषक द्वारा की गई बहस का प्रतिउत्तर देते हुए रैस्पोडेन्टस के विद्वान अभिभाषक ने तर्क दिया कि अपीलाधीन निर्णय दिनांक 18.07.2008 रिकार्ड व तथ्यों पर आधारित है तथा उक्त निर्णय के द्वारा उपखण्ड अधिकारी वैर ने प्रकरण पुनः सुनवाई हेतु तहसीलदार वैर को प्रतिप्रेषित किया है। जिसमें किसी प्रकार की कोई अनियमितता या अवैद्यानिकता नहीं है। अपीलान्ट को अपीलाधीन निर्णय की जानकारी पूर्व से रही है। इसके बाबजूद अदालत हाजा में मियाद बाहर अपील पेश की गई है। इसलिए अपील अपीलान्ट मियाद संबंधी बिन्दु पर ही खारिज किये जाने योग्य है। अपीलान्ट मृतक कालूराम की पुत्री नहीं होकर उसके भाई हरिया जिसके अपीलान्ट की माता खानान्दाज हुई थी की पुत्री है, परन्तु अपीलान्ट द्वारा गलत तथ्य पेश कर स्वयं को मृतक कालूराम की पुत्री बताकर अपने नाम नामान्तकरण दर्ज करवाने का आदेश ग्राम पंचायत से करवाया था। जिसे उपखण्ड अधिकारी वैर द्वारा अपीलाधीन निर्णय दिनांक 18.07.2008 के द्वारा पुनः सुनवाई हेतु तहसीलदार वैर को प्रेषित किया है। अपीलान्ट अपना पक्ष तहसीलदार वैर के समक्ष रखने हेतु स्वतंत्र हैं। जहां तक उपखण्ड अधिकारी वैर की ओर से अपीलान्ट के द्वारा पेश किये गये दावे में अपीलान्ट के हक में निर्णय पारित किये जाने का प्रश्न है तो इस निर्णय के विरूद्ध सक्षम न्यायालय में अपील

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

विचाराधीन है। इसलिए उपखण्ड अधिकारी वैर की ओर से पारित निर्णय से अपीलान्ट को किसी तरह का कोई अनुतोष प्राप्त नहीं हो सकता है। इसी प्रकार उपखण्ड अधिकारी वैर के न्यायालय में रैस्पोडेन्ट की ओर से प्रस्तुत अपील के साथ दफा 5 लिमिटेशन एक्ट का प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र रैस्पोडेन्ट की ओर से पेश किया गया था, जिसका अपीलान्ट की ओर से न तो कोई जवाव पेश किया गया और न ही कोई काउन्टर शपथ पत्र पेश किया गया। उपखण्ड अधिकारी वैर द्वारा रैस्पोडेन्ट की ओर से प्रस्तुत दफा 5 लिमिटेशन एक्ट के आधार पर अपील को अन्दर मियाद मानकर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। जिसमें अपीलीय स्तर पर हस्तक्षेप किये जाने का कोई औचित्य नहीं है। दूसरी ओर अपीलान्ट की ओर से अदालत हाजा में जो अपील पेश की गई है। उसके साथ प्रस्तुत किये गये दफा 5 लिमिटेशन एक्ट के प्रार्थना पत्र में यह उल्लेख किया गया है कि दिनांक 26.09.2008 को जव तहत अदालत में जानकारी हेतु गई तो अपीलाधीन निर्णय के वारे में जानकारी हुई, परन्तु किस से मिली व किस से सम्पर्क किया। इसके बारे में कोई उल्लेख प्रार्थना पत्र में नहीं है। इसके अलावा अपीलान्ट की ओर से अदालत मातहत में अभिभाषक नियुक्त थे, जिनके द्वारा अपीलान्ट की ओर से पैरवी की जा रही थी। अभिभाषक की जानकारी को मुव्वकिल की जानकारी मानी जाएगी। इस तर्क के समर्थन में वकील रैस्पोडेन्ट ने 1989 आर.आर.डी. पेज 259, 2016 आर.वी.जे पृष्ठ 20, 2017 आर.वी.जे पेज 95 पर उद्धरित निर्णयों में प्रतिपादित सिद्धान्त का हवाला दिया। इसी प्रकार 2016 आर.वी.जे पेज 572 व 2010 आर.वी.जे. पेज 289 पर उद्धरित निर्णयों में प्रतिपादित सिद्धान्तों का हवाला देते हुए तर्क दिया कि मियाद संवंधी विन्दु को अपीलीय न्यायालय को भलीभांति देखना चाहिए। विना किसी पर्याप्त व उचित कारण के तीन दिन के विलम्ब को भी कंडोन नहीं किया गया। अतः उपरोक्त नजीरों में प्रतिपादित सिद्धान्तों के परिप्रेक्ष्य में अपील अपीलान्ट मियाद के विन्दु पर खारिज की जावे। वकील रैस्पोडेन्ट ने यह भी तर्क दिया कि रिमाण्ड किये गये आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील मैन्टनेवल नहीं है। इस तरह का सिद्धान्त 2013 आर.वी.जे. पेज 687 पर उद्धरित निर्णय में प्रतिपादित किया गया है। वकील रैस्पोडेन्ट ने 2017 आर.वी.जे पेज 337 पर उद्धरित निर्णय में प्रतिपादित सिद्धान्त का हवाला देते हुए यह भी उल्लेख किया है कि जहां नियमित वाद व नामान्तकरण संवंधी प्रोसिडिंग के विरूद्ध अपील विचाराधीन है। उस प्रकरण में नामान्तकरण के विरूद्ध प्रस्तुत हुई अपील को दावे के निर्णय तक स्थगित किया जाना चाहिए। अपीलान्ट अनुसूचित जनजाति की सदस्या है। अनुसूचित जनजाति की भूमि में पुत्री को विरासत के अधिकार नहीं है और न ही हिन्दू उत्तराधिकार के प्रावधान ही लागू होते हैं। इस तरह का सिद्धान्त 2016 (2) आर.आर.टी पेज 1437 व 2014 (2) आर.आर.टी पेज 901 पर उद्धरित निर्णय में प्रतिपादित किये गये हैं। अतः उपरोक्त नजीरों में प्रतिपादित सिद्धान्तों के परिप्रेक्ष्य में भी अपील अपीलान्ट निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 18.07.2008 यथावत रखा जावे।

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

रिव्यूटल में पुनः वकील अपीलान्ट ने तर्क दिया कि अपीलान्ट की ओर से अदालत हाजा में प्रस्तुत अपील की मद संख्या 7 में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि अदालत मातहत द्वारा निर्णय हेतु नियत दिनांक को निर्णय नहीं कर बाद में किया गया है, जिसका रैस्पोडेन्ट की ओर से न तो कोई जवाब पेश किया गया और न ही कोई काउन्टर शपथ पत्र ही पेश किया गया। जिससे यह स्पष्ट होता हो कि अपीलान्ट को अपीलाधीन निर्णय की जानकारी प्रार्थना पत्र में वर्णित दिनांक के पूर्व से रही हो। ऐसी स्थिति में वकील रैस्पोडेन्ट की ओर से मियाद के संबंध में प्रस्तुत विभिन्न नजीरें उक्त प्रकरण पर चस्पा नहीं होती हैं। इसी तरह अपीलान्ट की ओर से अदालत हाजा में सी.पी.सी के आदेश 41 नियम 27 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न उपखण्ड अधिकारी वैर की ओर से पारित निर्णय दिनांक 02.05.2011 के पेज संख्या 5 में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि अपीलान्ट मृतक कालूराम की पुत्री है। जिसे उपखण्ड अधिकारी वैर ने भी निर्णय दिनांक 02.05.2011 में स्वीकार किया है। चूंकि ग्राम पंचायत द्वारा अपीलान्ट के पक्ष में नियमानुसार विरासत का नामान्तकरण खोला गया था। उपखण्ड अधिकारी वैर द्वारा उक्त नामान्तकरण को गलत रूप से निरस्त कर रिमाण्ड किया गया है। इसलिए अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 18.07.2008 निरस्त किया जावे तथा पूर्व के नामान्तकरण को बहाल किये जाने के आदेश दिये जावें।

अपीलान्ट व रैस्पोडेन्ट के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई व मनन किया गया तथा अपीलाधीन निर्णय संबंधी मूल पत्रावली व वकील रैस्पोडेन्ट की ओर से बहस में वर्णित विभिन्न नजीरों में प्रतिपादित सिद्धान्तों का अवलोकन किया गया। उक्त प्रकरण में अपीलान्ट की ओर से उपखण्ड अधिकारी वैर की ओर से पारित आदेश दिनांक 18.07.2008 के विरूद्ध अदालत हाजा में दिनांक 10.10.2008 को मियाद बाहर अपील पेश की गई है। जिसे अदालत हाजा में दिनांक 14.10.2008 को मियाद संबंधी बिन्दु रिजर्व रखते हुए दर्ज रजिस्टर किया गया है। ऐसी स्थिति में प्रकरण के गुणावगुण पर विचार किये जाने से पूर्व मियाद संबंधी बिन्दु को निर्णित किया जाना आवश्यक है। अपीलान्ट की ओर से मीमो आफ अपील के साथ दफा 5 लिमिटेशन एक्ट का प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र पेश किया गया है। जिसमें अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 26.09.2008 को होने पर अपीलाधीन निर्णय की नकल प्राप्त कर जानकारी की तिथि से अपील अन्दर मियाद पेश किये जाने का उल्लेख किया गया है तथा अपील पेश करने में हुए विलम्ब को कंडोन किये जाने की इस्तदुआ की गई है। रैस्पोडेन्ट की ओर से उक्त प्रार्थना पत्र का न तो कोई जवाब पेश किया गया और न ही कोई काउन्टर शपथ पत्र ही प्रस्तुत किया गया। जिससे यह स्पष्ट होता हो कि अपीलान्ट को अपीलाधीन निर्णय की जानकारी प्रार्थना पत्र में वर्णित दिनांक से पूर्व रही हो। वकील रैस्पोडेन्ट ने दौराने बहस यह अवश्य उल्लेख किया है कि अपीलान्ट को अपीलाधीन निर्णय की जानकारी पूर्व से थी तथा उनके अभिभाषक को भी अपीलाधीन निर्णय के बारे में

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

जानकारी थी, परन्तु इस तरह का कोई दस्तावेज रैस्पोडेन्ट की ओर से पेश नहीं किया गया। वकील रैस्पोडेन्ट की ओर से मियाद के विन्दु के संवंध में प्रस्तुत विभिन्न नजीरें यथा 1989 आर.आर.डी. पेज 259, 2016 आर.वी.जे पृष्ठ 20, 2017 आर.बी.जे पेज 95, 2016 आर.वी.जे पेज 572 व 2010 आर.वी.जे. पेज 289 में प्रतिपादित सिद्धान्तों से हम सादर सहमत हैं, परन्तु रैस्पोडेन्ट की ओर से कोई ऐसा दस्तावेज पेश नहीं किया गया, जिससे यह स्पष्ट होता हो कि अपीलान्ट को अपीलाधीन निर्णय की जानकारी पूर्व से रही हो। ऐसी स्थिति में हमारी विनम्र राय में उपरोक्त नजीरों में प्रतिपादित सिद्धान्त उक्त प्रकरण पर चस्पा नहीं होते हैं, क्योंकि विभिन्न न्यायालयों द्वारा कई निर्णयों में इस तरह के सिद्धान्त प्रतिपादित किये गये हैं कि अपीलीय न्यायालय को मियाद के विन्दु पर उदार रूख रखना चाहिए तथा तकनीकी बिन्दु पर अपील को खारिज करने से बचना चाहिए। ऐसी स्थिति में अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत दफा 5 लिमिटेशन एक्ट के प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए अपील अपीलान्ट अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

जहां तक अपीलाधीन निर्णय के गुणावगुण का प्रश्न है तो रैस्पोडेन्ट संख्या 1 से 5 के पिता द्वारा उपखण्ड अधिकारी वैर के न्यायालय में ग्राम पंचायत सैंतली की ओर से स्वीकृत नामान्तकरण संख्या 613 दिनांक 05.02.2003 के विरूद्ध अपील पेश की गई थी, जिसके साथ दफा 5 लिमिटेशन एक्ट का प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया गया था। इस प्रार्थना पत्र का रैस्पोडेन्ट की ओर से न तो कोई जवाब पेश किया गया और न ही कोई काउन्टर शपथ पत्र ही पेश किया गया। इसलिए अदालत मातहत द्वारा रैस्पोडेन्ट की ओर से प्रस्तुत दफा 5 लिमिटेशन एक्ट के प्रार्थना पत्र के आधार पर अपील को अन्दर मियाद मानते हुए अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। इसलिए वकील अपीलान्ट का यह तर्क कि अदालत मातहत द्वारा मियाद बाहर निर्णय पारित किये जाने के कारण अपीलाधीन निर्णय निरस्तनीय है, मानने योग्य नहीं है। इसी तरह अदालत मातहत द्वारा अपीलान्ट व अन्य पक्षकारान को सुनवाई का पर्याप्त व उचित अवसर देने के बाद अपीलाधीन निर्णय दिनांक 18.07.2008 को पारित किया है। इस निर्णय में अपीलान्ट व रैस्पोडेन्ट के अभिभाषकगण द्वारा की गई बहस का उल्लेख करते हुए यह माना है कि अपीलाधीन दाखिल खारिज नंबर 613 ग्राम गढ़ी साद को वसीयतनामा विरासत के परिप्रेक्ष्य में जांच के पश्चात ही दाखिल खारिजा को निर्णित किया जाना चाहिए था व दाखिल खारिजा का विस्तृत निर्णय किया जाना चाहिए था, परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा विस्तृत जांच किये बिना नामान्तकरण को स्वीकृत किया है। इस आधार पर ग्राम पंचायत द्वारा स्वीकृत किये गये नामान्तकरण को निरस्त कर प्रकरण तहसीलदार वैर को इन निर्देशों के साथ प्रेषित किया है कि उभयपक्ष को सुनकर दाखिल खारिजा 613 दिनांक 05.02.2003 का पुनः निस्तारण करें, जिसमें किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता या अनियमितता नजर नहीं आती है, क्योंकि अपीलान्ट तहसीलदार वैर के समक्ष अपना पक्ष रखने हेतु स्वतंत्र हैं। दूसरी

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

ओर वकील रैस्पोडेन्ट की ओर से बहस में वर्णित नजीर 2017 आर.बी.जे पेज 337 जिसमें यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि एक ही अनुतोष के लिए कोई भी पक्षकार दो भिन्न–भिन्न न्यायालयों में कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र नहीं है। नामान्तकरण संबंधी संक्षिप्त कार्यवाही को दावे के निर्णय तक स्थगित किये जाने का उल्लेख उक्त नजीर में किया गया है। अतः उक्त नजीर में प्रतिपादित सिद्धान्त के परिप्रेक्ष्य में भी अपीलाधीन निर्णय में हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है। जहां तक वकील अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत अन्य नजीरें यथा 2013 आर.बी.जे पेज 687 पर उद्धरित निर्णय में प्रतिपादित सिद्धान्त का प्रश्न है तो उक्त नजीर के तथ्य हस्तगत प्रकरण के तथ्यों से भिन्न होने के कारण हमारी विनम्र राय में इस प्रकरण पर चस्पा नहीं होते हैं। इसी प्रकार 2016 (2) आर.आर.टी पेज 1437 व 2014 (2) आर.आर.टी पेज 901 पर उद्धरित निर्णयों में प्रतिपादित सिद्धान्तों का प्रश्न है तो उक्त सिद्धान्त से हम सादर सहमत हैं, परन्तु अपीलीय न्यायालय की ओर से इस बिन्दु का परीक्षण किया जाना उचित नहीं है। वरन् इस संबंध में रैस्पोडेन्ट विचारण न्यायालय तहसीलदार वैर के समक्ष अपना पक्ष रखने हेतु स्वतंत्र हैं।

अतः उपरोक्त तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 18.07.2008 यथावत रखा जाता है। उभयपक्षकारान अपीलाधीन निर्णय दिनांक 18.07.2008 में दिये गये निर्देशों के कम में अपना पक्ष तहसीलदार वैर के समक्ष लम्बित प्रकरण में रखने हेतु पूर्ण स्वतंत्र हैं।

निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक 17.10.2023 को सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर संभाग, भरतपुर

(साँवर मल वर्मा)
संभागीय आयुक्त
भरतपुर